

2

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

क्रमांक /वि.स./स्था./2022

रायपुर दिनांक / /2022

//कार्यालय-आदेश//

आदेशानुसार, पंचम विधानसभा के बजट सत्र दिनांक 07.03.2022 से 25.03.2022 के दौरान जिस दिन सभा की बैठक होगी, उन दिनों में विधान सभा सचिवालय का कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.30 बजे तक रहेगा, किन्तु यदि सभा की बैठक निर्धारित समय से अधिक समय तक चलती है तो कार्यालय का समय सभा की बैठक समाप्त होने के एक घण्टे पश्चात् तक रहेगा ।

दिनांक 07 मार्च, 2022 को कार्यालय का समय प्रातः 09.30 बजे से सायं 06.30 बजे तक तथा दिनांक 05,06,12,13,19 एवं 20 मार्च 2022 को कार्यालय का समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.30 बजे तक या कार्य समाप्ति तक रहेगा ।

समस्त अधिकारी निर्धारित कार्यालय समय के पश्चात् प्रमुख सचिव महोदय की अनुमति प्राप्त कर एवं समस्त कर्मचारी निर्धारित समय के पश्चात् अपने प्रभारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ही कार्यालय छोड़ेंगे ।

अधिकारी/कर्मचारी सत्रावधि में प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार उन्हें प्रदायित शर्ट पैंट के साथ जेकेट, एवं प्रत्येक बुधवार को रेमण्ड सफारी में दृष्टव्य रूप से अपना परिचय पत्र लगाकर कार्यालय आर्येंगे । समस्त वाहन चालक/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी उन्हें प्रदाय किए गए निर्धारित वर्दी, जूते एवं टोपी पहन कर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे ।

कोरोना वायरस संक्रमण (COVID-19) से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है । अतः संक्रमण से बचाव की दृष्टि से कार्यालय आने-जाने हेतु यथा संभव स्वयं के वाहन के उपयोग की सलाह दी जाती है ।

सत्र के दौरान घड़ी चौक एवं सिद्धार्थ चौक जाने वाली बस का प्रस्थान समय कार्यालय समय के 30 मिनट पश्चात् तथा विजेता काम्पलेक्स जाने वाली बस का प्रस्थान समय कार्यालय समय के 01 घण्टे पश्चात् रहेगा ।

आदेश से,

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा
रायपुर, दिनांक 21/3/2022

पृ.क्रमांक 2106 /वि.स./स्था.2022

प्रतिलिपि

01. मा. अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा, के सचिव को मा. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. मा. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के विशेष सहायक को मा. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ
03. मा.उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सहायक को मा. उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
04. प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय,के स्टॉफ ऑफिसर को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
05. समस्त अधिकारी/कर्मचारी छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
06. सर्वर कक्ष ।

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ विधान सभा